

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 151/2024 अपील अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2024/169)

## अनवान:

1. रतनी देवी पत्नी इन्द्रचन्द जाति सिंगी निवासी डागा गेस्ट हाउस के पास, नोखा रोड़, गंगाशहर।
2. सुनिता पुत्री इन्द्रचन्द जाति सिंगी निवासी डागा गेस्ट हाउस के पास, नोखा रोड़, गंगाशहर।
3. विकास कुर पुत्र इन्द्रचन्द जाति सिंगी निवासी डागा गेस्ट हाउस के पास, नोखा रोड़, गंगाशहर। (फौत)
- 3/1. तनसुख पुत्र इन्द्रचन्द सिंगी निवासी नई लाईन, डागा गेस्ट हाउस के पीछे, गंगाशहर, बीकानेर। (आदेशिका दि. 19.11.2025 की पालना में संयोजित किया गया)

...अपीलांटस


## बनाम

1. मोहनलाल पुत्र स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी पूगल रोड़, सब्जी मण्डी के पीछे, बीकानेर।
2. माणकचंद पुत्र स्व. पन्नालाल जाति माली निवासी सुजानदेसर, बीकानेर।
3. शान्ति देवी पुत्री स्व. पन्नालाल पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासी छोटा राणीसर बास, बीकानेर।
4. मोडी देवी पुत्री स्व. पन्नालाल पत्नी नथुराम जाति माली निवासी हरिराम जी रोड़, भीनासर, बीकानेर।
5. श्रीमति देवा देवी बेवाह नथुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
6. भंवरलाल भाटी पुत्र नथुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
7. दुर्गा भाटी पुत्री नथुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
8. पूजा भाटी पुत्री नथुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
9. प्रभूदयाल भाटी पुत्र नथुराम जाति माली निवासी पंवारसर कुआं, रामदेव जी मन्दिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।
11. मांगीलाल गहलोट पुत्र भंवरलाल गहलोट जाति माली निवासी मकान सं. 539 कॉलोनी, मालियों का मौहल्ला, जैन स्कूल के पास, बीकानेर।

.....रेस्पोडेंटस

09.03.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति पर बहस उभय सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेंट न दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर बीकानेर में वादगत भूमि के बाबत दावा घोषणात्मक प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन चला आ रहा है। कानूनन जब दावा विचाराधीन हो तो इंतकाल की अपील चल नहीं सकती। इसलिए इस आधार पर अपील अपीलांट निरस्त योग्य है। इंतकाल की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडींग होती है, जिसमें अधिकारों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। इस मामले में अपीलांट का कोई हक व हिस्सा वादगत भूमि में नहीं होने के कारण उसे अपील पेश करने की कोई लोकस स्टेण्डाई हासिल नहीं हैं तथा उसके द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु दावा प्रस्तुत कर रखा है। इसलिए इस आधार पर भी अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः

  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

प्राथमिक आपति पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलांत खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक अपीलांत ने दौराने प्रार्थना पत्र बहस कथन किया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपति बिना किसी उचित कारण के पेश की गई है। वादगत भूमि अपीलांत द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की हुई है तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलांत स्थापित रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से व्यथित एवं वादगत भूमि के हितबद्ध पक्षकार है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। उक्त अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.09.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। वादगत भूमि बाबत एक घोषणात्मक दावा अन्य न्यायालय में विचाराधीन हैं, जहां पक्षकारों के अधिकार तय होने हैं। पक्षकारों के वादगत भूमि से संबंधित अधिकारों का विनिश्चय दावें में होना है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में विचाराधीन अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांत इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। पत्रावली नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम/मीना)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर

